

3/7/19

प्रायोगिक के अधिवक्ता अनुपस्थित। उषमी सभा 1 वर  
की डॉर अधिवक्ता श्री सुरेश चड शुभकर ने वफ पत्र  
में वकालतनाम पेश कर निकले किता कि उषमी एवं  
उन्के अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रकार खारिज किता जाते।  
प्रायोगिक एवं उन्के अधिवक्ता के तीन बार आवाजे लगाने  
बाई। परन्तु उन्की डॉर से कोई अदालत उपस्थित  
नहीं आया अतः प्रकार अकम एजिरी अकम पेशवी में  
खारिज किता जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम है। वाद वफतर परिणल हो।

भादेश आज से इजलास खुलाया गया।

✍

(मोहनलाल खटनावतिया)

हवलदार जजिदारी

मसूदा (अदालत) अत.

